# प्रेस नोट

**सराहनीय कार्य कानपुर देहात**
**दिनांक- 08.11.2024**

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता।**
- **थाना अकबरपुर पर पंजीकृत चोरी के विभिन्न मुकदमों में वांछित चल रहे रू0 25,000/- के पुरस्कार घोषित शातिर अभियुक्त को थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त पर आधा दर्जन से अधिक अभियोग हैं पंजीकृत।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे "जागते रहो" विशेष अभियान के क्रम में, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.11.2024 को रात्रि में बारा जोड़ कानपुर-इटावा हाइवे पर संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि तभी एक बाइक आती दिखाई दी उक्त बाइक पर दो व्यक्ति सवार थे जिनको रोकने का प्रयास किया गया परन्तु बाइक सवार व्यक्तियों ने पुलिस को देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया तो बाइक फिसलकर गिर गई तथा पुलिस द्वारा भागकर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए एक व्यक्ति को ग्राम मिसिरपुर जाने वाली सडक पर हाइवे से करीब 100 मी0 अन्दर समय करीब 01.35 बजे गिरफ्तार किया गया तथा दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग गया। पकड़े गए अपराधी की पहचान थाना अकबरपुर पर पंजीकृत चोरी के विभिन्न मुकदमों में वांछित चल रहे रू0 25,000/ के पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनोज सिंह पुत्र वीरेन्द्र उर्फ मुन्ना निवासी रेउरी थाना सचेण्डी कानपुर नगर उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 524/2024 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व धारा 109 बीएनएस 2023 बनाम 1. मनोज सिंह पुत्र वीरेन्द्र उर्फ मुन्ना निवासी रेउरी थाना सचेण्डी कानपुर नगर उम्र 28 वर्ष, 2. राकेश उर्फ ठाकुर पुत्र अज्ञात निवासी देविनपुरवा थाना सचेण्डी कानपुर नगर (भागा हुआ) पंजीकृत किया गया। भागे हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

(1) मनोज सिंह पुत्र वीरेन्द्र उर्फ मुन्ना निवासी रेउरी थाना सचेण्डी कानपुर नगर उम्र 28 वर्ष

**आपराधिक इतिहास....**

1. मु0अ0स0 29/24 धारा 379/411 IPC थाना अकबरपुर कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 393/23 धारा 379/411 IPC थाना अकबरपुर कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 454/23 धारा 379/411 IPC थाना अकबरपुर कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0 541/23 धारा 41 सीआरपीसी, 411/413/414 IPC थाना अकबरपुर कानपुर देहात
5. मु0अ0सं0 33/24 धारा 41 सीआरपीसी, 411/413/414 IPC थाना अकबरपुर कानपुर देहात
6. मु0अ0सं0 34/24 धारा 307 IPC थाना अकबरपुर कानपुर देहात
7. मु0अ0स0 524/2024 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व धारा 109 बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर का0दे0
8. मु0अ0सं0 003/24 धारा 379/411 IPC थाना बरौर कानपुर देहात

**बरामदगी-**

1. 01 अदद तमंचा नाजायज देशी 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस रंग काला जिस पर नबर अंकित नहीं है (चेसिस नंबर MBLHAW216RHJ08565)।
3. जामा तलाशी से 340 रुपए।

**गिरफ्तार करने वाली थाना अकबरपुर पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री बृजकिशोर
3. उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार
4. हे0का0 370 सुनील कुमार
5. हे0का0 560 दशरथ सिंह
6. का0 344 सुनील सिंह
7. का0 623 पंकज सिंह
8. का0 368 योगेश कुमार